परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसमा क्षेत्र कपकोट में दूणी—सुकुण्डा गोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8 किमी0 मोटर मार्ग हेतु आरक्षित वनभूमि. 980 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.-26.0. हे0 वन पंचायत भूमि 2::1.2... हे0) अर्थात कुल 4:-5:4:0.. हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग / संस्था के पक्ष में आरत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **क्रिको**ं द्वारा दिनांक **24 04 2016**को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैटक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-ग्राम सचिव

TODEO Z

| | ग्राम पंचायत जापूर्व | 12 | |
|-------------|--|------------|---------------------------|
| कमाक | ग्राम सभा में उपस्थित वस्टि ग्रामवासिय | गें का नाम | 1 Etcher |
| 1 | 3-4C 1-41 = on 44/21 | | - Welf |
| <u> </u> | वलवत सिरं जपकोटी | | REN |
| 3, | न्येत्र हत्राम लिखा | 10 | bian |
| 4. | Inlak Singh Kapkot | M | Kapek der |
| 5. | ELAC TOT YOU | | Sn. P |
| 6. | Viden emight | | AL- |
| 7. | Christ drugte | × | |
| 8, | HELDIF IFIC trum) D. | ī | Om |
| 9, | - TIM 1218 umper | | sto p |
| 10. | ZAR (OB AND) | - (| Spar anon |
| . 11. | Re Fud tot | - A | |
| 12. | -usual 18 France A | | me |
| 13. | Mappend Ringh Shiptlet | | mpint |
| 14. | inch' | | Bingh |
| 15. | Parkin Singh | | |
| 16. | diland the grantet | | tulia) |
| 17- | siller Lie | | A repositore |
| 18 | लातनित सिंह | | datit |
| 19. | | <i>c</i> | -Cru |
| LO. | Desing theffet; | | |
| C. Martines | JEY This chocherune, this | | |
| | | | |
| - | Burgelant | | $, \land $ |
| | 17011-3214 | | 30/-18 |
| | तिलाग् ३२.२५ | | गम्म प्रधान |
| | - Jones i | men 1 | प्रधान 1म पंचायत कषकोट |
| | Tee B- | faor faor | a) व नहसील- कर्यकोट |

प्राम प्राप्त विव्यान कारकोट

10

TUR

١

दिनांक <u>24104</u> 2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत <u>फापको</u> ट

<u>प्रपत्र– 23</u>

परियोजना का नामः–

Zal

99412124

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रगाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कपकोट तहसील का नामकपकाट....., जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोमाकुण्ड तक 8 किमीo मोटर मार्ग हेतु आरक्षित वनभूमि<u>श्र. 9.0.0</u>हेo सिविल सोयम भूमि/-.26 ... हेo वन पंचायत भूमि द्व.: 1.2... हेo) अर्थात कुल 4...3.44.0. हेo वनभूमि का लोoनिoविo कपकोट विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत र्जे कर्ड, द्वारा दिनांक 2.2.4.6 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एलेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के लहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, फा कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा जेन<u>ह विझी किनार</u>के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि. लोठनिठविठ कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-यान संविध

ग्राम पंचायत विञ्च०-कपकोट उत्तराख

ह0/-ग्राम प्रधान प्रधान प्राम बंचायत गैनाड् विरख-कमकोट जिला-बागेश्वर

र्पारयोजना का नामः--

1

| | दिनांक.] | 5 | <u>।(</u> को | ग्रामसभा | की सम्पन्न | बैठक | की उपस्थिति |
|---|----------|---|--------------|----------|------------|-------|-------------------|
| 8 | | U | ग्राम पंचायत | | - तिइ | - | की उपस्थिति जत |
| | | | | | 2111-1 | 11-1- | |

- ; .

| कमाक | ्ग्राम सभा | में उग्रस्थित वरि | ष्ठ ग्रामवासि | यों करूनाम | ् हर | ताक्षर |
|------|------------|-------------------|---------------|-------------|------------|--|
| 4 | 3114101 | RIE | | or Rig | ्योपास | ारेन्ट्र, |
| 1 | केशर | RIE | | रोग्नन सिंह | वैवरतरा की | The states of th |
| 3 | ENH | RE | 510 | N' 11 | Ahn | malilgh |
| 4 | 0.910 | RE | 510 | EIT THE | Righ | (Hand Or |
| 5 | र्याम | BHE | CIA | 01, " | TITE | Man |
| 6 | अमूर | ARE | <u> </u> | Ereig | JISIQ" | MELO |
| 7 | Gelly | IKIE | S/ 0 | माद्री सिंह | - AFTAT | Ho ZMatts |
| 8 | রন | 12नेह | sia | 17 Y | 52177 | RC |
| 7 | peletat | ्रसेट् | S/ a | 311 10 | HOTT LA | Ant- |
| 10 | 19.0.0 | dere. | slo | abel 6 RA | · 54 die | 31-02 |
| 11 | 24 | KE | 5'0 | YMME | # 471 | FF-G |
| 12 | Rapp | RE | 2/0 | 417 ME | 123 240 | गम्र |
| B | क्षिट्न | ME | 510 | रतन सिंह | माइ | 148 |
| 14 | 12/11/ | AE | :'0 | er is | Amel | |
| 15 | कदन | ्रसह | \$1.0 | जीमा कह | DeG1 | TEFF |
| 16 | appix | RE | \$10 | . जिला दि | e Kedar | Sign |
| 17 | , , , | | | | | ······································ |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | ····· | | | | |
| 20 | | | | | | annan - Annan Annan - Christian Annan Annan Annan Annan |

प्राचान प्राम पंचायत सोसी विव्यक कारकोट जनपद-बागा (उत्तराखण्ड)

ह0/-ग्राम प्रधान**त्तीना देपी U**U Wind a tilda Y 40.60-61

<u> प्रपत्र- 23.2</u>

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी **कपकोट** अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,......

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री व्याप्त विद् सिंट उपजिलाधिकारी के प्रथा 2 sub Division Magistration बनाय 2- श्री सत्तन्त नाय जिन्दाति उप प्रभागीय वनाधिकारी लाग व्या स्वरूय 3- श्री कार्जित मिंट वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यकार्य संवरूय स्वरूप 4- श्री त्याद् स्वरूप स्वरूप विकास खण्ड कपकोट कार्यकास खण्ड कपकोट

5

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी---सुकुण्डा तक 8.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.340 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुषंसा की गई है। सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी—सुकुण्डा तक 8.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.340 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

All the second second second second Sub Divisional Magistrate उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कामग्र जनपद......चाग २०८ 294 कार्यवाही हेतु। प्रतिलिपिः जिलाधिकारी.... sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar) उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन् अधिकार समिति तहसील क्राप्क भंडायक समाज अजगण आयकार जनपद.....

~

(2)

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 निर्माण हेतु <u>4.340हे0</u> वन भूमि <u>निर्माण खण्ड, लोक</u> <u>निर्माण विमाग कपकोट</u> प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति <u>बागेश्वर</u> तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 निर्माण हेतु <u>4.340हे0</u> वन भूमि निर्माण खण्ड, <u>लोक</u> <u>निर्माण विमाग कपकोट</u> (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

1.

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

N0.....

Dated. 2.0. . 6. /17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4** Chectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Duni Sukunda motor road Extension to Shobhakund Motor road (Length 8.00) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

• The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.340 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

 \sim

Dated 20 06 117

Signature

District Collector

Seal والتومين (Full name and official seal of the District Collector

Form-II (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

N0......

Dated 20/06/17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.340** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Duni Sukunda motor road Extension to Shobhakund Motor road (Length 8.00) in distt Bageshwer**.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.340 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure......to annexure......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Duni Sukunda**/ Shobhakund Village (s) is enclosed as annexure......
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

119 010 0110

District Confector Bageshwar

Encl: As above

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

<u>Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level</u> <u>committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers</u> (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of S_{m}/R_{m} and Ves Ma I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 20/06/17 at time 1/1.3.0 pm at Bageshwar in which application claiming rights in $L_{1.3.44}$ area measuring 4.340 hect for the Construction of Duni Sukunda motor road Extension to Shobhakund Motor road (Length 8.00) in distt Bageshwer of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Deputy Commissioner Chairman District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated: 20/06/17